

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अपत्यव्यवस्था संयोजना के अन्तर्गत आवेदन सं0 1799 20 20
 प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं0
 दूक्री श्री Gopal Prasad Singh and others

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 1990 20 से ता0 till dated

तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता धला Development Agreement
 चला है अतः 319841 मुक्त नदी

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza— P.S— Thana No— Khata No— Survey Plot No— Ward No— Holding No— Tauzi No— Area of land—	Moharrampur Kadamkuan, 137 286/216, 339, 11 (old), 43 (New), 33/36, 804 21.875	Situated at Kadamkuan Pragana—Azimabad Plot No—636 Municipal Plot No—636 Sheet No—60 circle No—20B Dec. (71katha)					

Deed no. 9855
 Development
 Agreement
 Token no. 11418
 Reg. year 2017

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्त की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मै यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): M. Hussain

(पदनाम):

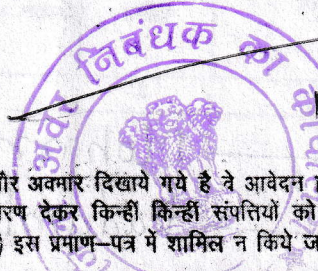
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: Patna

तारीख:



मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाह्य) और अनुक्रमाधियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्विष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमाधियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक,

ज्ञाप संख्या

1737 (1737)

दिनांक 13.03.2020

आवेदक श्री

Gopal Prasad Singh and Others

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा

Manager, Bank of Baroda, Patna Main Branch, Patna.

का उनके पत्र संख्या

दिनांक 03/03/2020

के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

Patna

13.03.2020